न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 09/2015

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2015/00093

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थी:–
थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत, जिला पाली		1. दलपतराज पुत्र भानाराम जाति माली निवासी उचारड़ा धन्धेड़ी पुलिस थाना सोजतसिटी जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/12/2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा टाटा टेम्पो आर.जे. 19 जीं.बी. 3001 में अवैध रूप केरोसिन बेचने एवं व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा टेम्पो एंव 50–50 लीटर के चार जरीकेन केरोसीन को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी एंव अधिवक्ता अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित जावेगा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भंवरलाल सिसोदिया उप अधीक्षक पुलिस वृत सोजत ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट मय मुर्तिबा फर्दात व माल अवैध केरोसिन के इस आशय से पेश किया किया भंवरलाल सिसोदिया वृताधिकारी वृत सोजत को जरिये मुखबिर सुचना मिली की सरहद मोड़भट्टा कृर्षि मड़ी रोड़ सोजतसिटी पर एक टाटा टेम्पु नम्बर आरजे 19 जीबी 3001 पर दलपतराज माली पुत्र भानाराम अवैध रूप से केरोसिन भरकर बेचने की फिराक में है। जिस पर वृताधिकारी सोजतसिटी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां पर एक टेम्पों नम्बर आरजे 19 जीबी 3001 खड़ा मिला जिसके पास एक आदमी खडा था, जो पुलिस की गाडी देखकर भाग गया। पुलिस द्वारा टेम्पों का निरीक्षण करने पर उक्त टेम्पों में चार जरिकेन तरल पदार्थ से भरे हुए पाये गये। जिनकी स्वतत्र गवाह के सामने निरीक्षण करना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह की तलाश करने पर कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं होने पर हमराह जाब्ता में से लुणाराम उ.नि. व रामकरण हैडकानि. को मौतबीर मामूर कर रूबरू मौतबिरान उक्त टेम्पों की तलाशी लेनी शुरू की तो उसके केबिन में टेम्पु से संबंधित कागजात मिले तथा टेम्पो की बोडी में चार जरिकेन रखे हुए थे जिनको खोलकर देखा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तो उसमें तरल पदार्थ भरा हुआ था जिसे साफा कांच की बोतल में प्रत्येक जरिकेन मे से वास्ते कन्ट्रोल सेम्पल हेतु लिया जाकर नियमानुसार सील चस्पा किया एवं अभियुक्त दलपत की तलाशी की लेकिन वह नहीं मिला। मौके पर आवश्यक कार्यवाही कर मन वृताधिकारी मय जाब्ता एवं मय मुतिबा फर्दात बरामद अवैध केरोसिन से भरे चारों जरिकेन मय टेम्पों पुलिस थाना सोजतसिटी जिला पाली पहुंचें एवं प्रकरण संख्या 230/2015 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया एवं मौतबिरान के बयान लेकर मुलजिमान को नोटिस जारी किया जिसमें मुलजिमान ने जुर्म स्वीकारोक्ति पर गिरफ्तार किया जो वर्तमान में जमानत पर है। मौके से लिये गये तरल पदार्थ के सेम्पल को एफएसएल में भेजा जा चुका है एवं जब्त तरल पदार्थ को थाना हाजा के मालखाने में जमा किया। अतः जैर प्रार्थना पत्र में जब्त शुदा माल टेम्पों नम्बर आरजे 19 जीबी 3001 एवं 50—50 लीटर के चारों जरिकेन का नियमानुसार निस्तारण करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पेश कर वृताधिकारी वृत सोजत सिटी द्वारा पुलिस थाना सोजत के प्रकरण संख्या 230/2015 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्तशुदा माल के निस्तारण का निवेदन किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि भंवरलाल सिसोदिया वृताधिकारी वृत सोजत को जरिये मुखबिर सूचना मिली की सरहद मोड भट्टा कृर्षि मड़ी रोड़ सोजत सिटी पर एक टाटा टेम्पों नम्बर आरजे 19 जीबी 3001 पर अप्रार्थी दलपतराज माली पुत्र भानाराम जाति माली निवासी नया उचियाड़ा धन्धेड़ी पुलिस थाना सोजत सिटी जिला पाली अवैध रूप से केरोसिन भरकर बेचने की फिराक में है, जिस पर वृताधिकारी सोजतसिटी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां पर उक्त टेम्पों खड़ा मिला एवं उसके पास उपस्थित आदमी पुलिस की गाड़ी को देखकर भाग गया। पुलिस द्वारा टेम्पों का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त टेम्पों में चार जरिकेन तरल पदार्थ से भरे हुए थे, जिनकी स्वतंत्र गवाह के सामने निरीक्षण करना आवश्यक होने से कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने की स्थिति में हमराह जाब्ता में से लुणाराम उ.नि. व रामकरण हैडकानि. को मौतबीर मामूर कर रूबरू मौतबिरान उक्त टेम्पों की तलाशी ली जिसमें टेम्पों से संबंधित दस्तावेज मिले एवं अभियुक्त दलपंत की तलाशी की परन्तु वह नहीं मिला। वृताधिकारी द्वारा अवैध तरल पदार्थ से भरे चारों जरिकेन मय टेम्पों को जब्त कर प्रकरण दर्ज कर मुलजिमान को नोटिस जारी किया जिस पर मुलजिमान ने जूर्म स्वीकार कर आत्म समर्पण किया। जब्तसुदा प्रत्येक जरिकेन में भरे तरल पदार्थ का साफ कांच की बोतल में वास्ते कन्ट्रोल सेम्पल हेतु लिया जाकर नियमानुसार सील चस्पा कर सेम्पल को एफएसएल में भेजा गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी दलपतराज ने दिनांक 30.07.2015 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 सीआरपीसी के तहत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 19 जीबी 3001 को रिलीज करवाने बाबत पेश किया जिस पर अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन सुपुर्दगी नामे पर इस शर्त पर रिलिज किया कि अप्रार्थी उक्त वाहन का बेचान, हस्तान्तरण एवं अन्तरण नहीं करे, जो कि वर्तमान में अप्रार्थी के हस्ते है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर. पाली

उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा केरोसीन का अवैध रूप से परिवहन एवं विक्रय किया जा रहा था चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन तेल की आपूर्ति उचित मूल्य की दुकानों पर की जाती है। यह है कि खुले बाजार में केरोसीन तेल उपलब्ध नहीं है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में केरोसीन का अवैध रूप से परिवहन एवं विक्रय किया जा रहा था, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 6(4), राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(2) तथा केरोसीन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के खण्ड 3(1)(2), 3(ख) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से केरोसीन का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से कब्जे सरकार लिये गये 50–50 लीटर के चार जरिकेन केरोसिन को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामंस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा वाहन टेम्पु संख्या आरजे 19 जीबी 3001 में अवैध केरोसिन 50–50 लीटर के चारों जरिकेन का बिना अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में रखना एवं व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा केरोसिन 50–50 लीटर के चारों जरिकेन का अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के उपबन्धों की अवहेलना किया जाने से उक्त जब्तशुदा केरोसिन 50–50 लीटर के चार जरिकेन को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं एंव प्रकरण में जब्त टेम्पो संख्या आरजे 19 जीबी 3001 का अगर किसी अन्य प्रकरण में आवश्कता न हो तो अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की सत्यप्रति पुलिस थाना सोजत सिटी एवं जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर जिला रसद अधिकारी पाली को आदेशित किया जाता है कि राज्यसात किंये गये केरोसीन का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कर इस न्यायालय को सूचित करे।

निर्णय आज दिनांक 30\12\2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलैक्टर पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)